
प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

"Rajasthan Excise Department, Basic Course For Excise Inspectors & Patrolling Officers"

दिनांक 04-09-2017 से 07-10**-**2017



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 04.09.2017 से 07.10.2017 तक "Rajasthan Excise Department, Basic Course For Excise Inspectors & Patrolling Officers" विषय पर 35 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत, आई.पी.एस. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के आबकारी विभाग के विभिन्न जिलों से कुल 61 आबकारी एक्साईज निरीक्षक एवं आबकारी प्रहराधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन/सम्बोधन आबकारी अधिकारी श्रीमती रिश्म गुप्ता, आरएएस, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जयपुर द्वारा किया गया। सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री बजरंग लाल गुलेरिया, अति. आयुक्त आबकारी (से0नि0) द्वारा आबकारी अधिनियम एवं नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, डॉ. सुमन राव, ए.पी.पी., आर.पी.ए. के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। श्री आवेश सिंह, ए.डी.पी. आर.पी.ए. द्वारा धारतीय दण्ड संहिता, 1860 की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानकारी दी। श्री धीरज वर्मा, पु.नि., आर.पी.ए. द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। श्री महेश कुमार, उ.नि. द्वारा साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानकारी दी। श्री बाबूलाल, कार्यालय सहायक, आरपीए के द्वारा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के बारे में जानकारी दी गई। श्री जे.के. सचदेवा, आई.ए.एस. (से.नि.) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी दी गई। श्री नन्दकुमार कटेवा, प्रोग्रामर द्वारा Computer (Theory, Practical) के बारे में जानकारी दी गई। श्री रणवीर सिंह, पु.नि. ने कोर्ट में शहादत के समय में ध्यान रखने वाली बातों के बारे में जानकारी, अनुसंधान में फर्द बनाने की जानकारी गी गई। श्री आर.एस. शर्मा, अति. निदेशक, एफ.एस.एल. (से.नि.) द्वारा एफ.एस.एल. की सामान्य जानकारी, आबकारी अधिनियम व एन.डी.पी.एस. एक्ट के सैम्पलों की जांच के संबंध में आवश्यक बातें बतायी। श्री आर.एस. बत्रा, आरएएस (से.नि.) द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम 1958 के बारे में जानकारी दी गई। श्री रमेश अरोड़ा, प्रोफेसर द्वारा नैतिक व्यवहार के बारे में जानकारी दी।

आउटडोर प्रशिक्षण के दोरान पी.टी. अभ्यास, ड्रिल, योगा, हथियारों की जानकारी, मस्केट्री, सिमुलेटर पर अभ्यास, खेलकूद व आउटडोर की अन्य गतिविधियों पर विस्तृत में जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह दिनांक 07.10.2017 को आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि महोदय श्री डी.बी. गुप्ता, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव, Finance, Excise, Taxation Department, Rajasthan, Jaipur एवं विशिष्ट अतिथि महोदय श्री ओ.पी. यादव, आईएएस, किमश्नर आबकारी विभाग (राज.) का स्वागत श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक आरपीए के द्वारा किया गया। निदेशक महोदय आरपीए द्वारा स्वागत भाषण के पश्चात् श्री सौरभ कोठारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (इण्डोर) द्वारा कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रतिभागी सुश्री पूजा मारोठी, एक्साईज निरीक्षक (प्रशिक्षु) एवं श्री उदय सिंह, प्रहराधिकारी, जयपुर ने प्रशिक्षण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। निदेशक महोदय आरपीए एवं विशिष्ट अतिथि महोदय व मुख्य अतिथि महोदय के उद्बोधन के पश्चात् मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट/ ग्रुप फोटो वितरित किये गये। कोर्स निदेशक श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा धन्यवाद जापन व कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस कोर्स डायरेक्टर आर.पी.ए., जयपुर